राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प. 1(110)कार्मिक/क–3/जॉच/2012 जयपुर, दिनांकः 31/07/18

परिपत्र

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 7.11.1998 एवं दिनांक 19.09.2013 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं जिनके अनुसार प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी जिन्हें निलम्बन की शक्तियां प्रदत्त नहीं है, यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो मुख्य सचिव महोदय एवं शासन सचिव कार्मिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर निलम्बन आदेश जारी करेंगे और प्रकरण को तत्काल पुष्टि हेतु कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही हैं जिनमें मुख्य सचिव महोदय एवं कार्मिक सचिव से पुष्टि प्राप्त कराये बिना ही विभागाध्यक्ष/अन्य अधिकारियों द्वारा निलम्बन आदेश जारी कर देना, निलम्बन पश्चात् कई माह तक पुष्टि के प्रस्ताव प्रेषित नहीं करना, निलम्बित अधिकारी का प्रकरण कार्मिक विभाग के संज्ञान में लाये बिना ही अपने स्तर पर बहाल कर देना, निलम्बन आदेश के बाद कई वर्षों तक अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भिजवाना आदि शामिल हैं।

अतः उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व परिपत्र संख्या प. 1(110) कार्मिक/क–3/2012, दिनांक 19.09.2013 के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन हेतु कार्मिक विभाग के साथ–साथ आवश्यक परिस्थिति अनुसार प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा भी निलम्बन आदेश जारी किये जा सकेंगे।
2. उक्त निलम्बन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलम्बन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किये जाये।
3. यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बन के प्रस्ताव पुष्टि हेतु 15 दिवस के भीतर और अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है तो उक्त निलम्बन निष्प्रभावी माना जाकर अधिकारी स्वतः ही बहाल माना जायेगा।

सभी प्रशासनिक विभाग उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से करेंगे और यदि इनकी अवहेलना की जाती है तो प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

www.rajteachers.com

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4 समस्त अति.मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
5 समस्त सम्भागीय आयुक्त
6 समस्त विभागाध्यक्ष/ समस्त जिला कलक्टर

संयुक्त शासन सचिव